



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001

दिनांक 23.02.2026

कार्यालय ज्ञापन सं.27/2026

पूर्व कार्यालय ज्ञापन सं. 69/2025 दिनांक 24.09.2025 को रद्द करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 155 के अनुसार, प्रत्येक अवसर पर बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबंधित 50,000/- रुपये से ज्यादा और 5, 00,000/- तक के सामान की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी ने बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों सहित स्थानीय क्रय समिति का पुनर्गठन किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी:-

1.	श्री पी. सी. बोरो, सहायक सचिव
2.	श्री सचिन व्यंकटराव सोमवंशी, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी
3.	श्री ज्योति अर्नव गोस्वामी, लेखा अधिकारी


(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
प्रभारी सचिव

वितरण:

1.	ऊपर सूचीबद्ध सभी अधिकारी	
2.	बोर्ड का मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
3.	वि स एवं मु ले अ	
4.	फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी (एसवीएस)	
5.	उपाध्यक्ष, वि स एवं मु ले अ, एवं सचिव के निजी सहायक	
6.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7.	संपदा अधिकारी	
8.	टीबीईए	
9.	स्थापना शाख	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

संदर्भ फाइल सं. स्था-विविध/7/2026-स्थापना